न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 08 / 2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :—

प्रार्थीगण :—

1.जुसुबखां 2.मुहीब 3.मोरूखान 4.अईबखां पि.शेम्भू जतियान सिंधी मुसलमान, निवासी छोटा भोजारिया तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

वकील प्रार्थीगण :— श्री रामजीवन विश्नोई

निर्णय

दिनांक 04/07/25

प्रार्थीगण जुसुबखां पुत्र शेम्भू वगैरा, जाति मुसलमान, निवासी छोटा भोजारिया, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा छोटा भोजारिया (भोजारिया), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा नं. 420/332 रकबा 10.6756 हैक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त जोत एवं ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थी के खसरा सं. 371 रकबा 03.3265 हैक्टयर में से चलकर सरकारी रास्ते तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की उक्त जोत पर [illegible] रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार [illegible] अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत एवं ढाणियों पर आने जा[illegible] बाधित होते है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी के खसरा सं. 371 से [illegible] रास्ता दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

चौहटन

नम्बर व अहकाम हुक्म की ता

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। चाहे गये रास्ते के संबंध मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार लिखा गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमे तहसीलदार द्वारा उल्लेखित किया गया कि उक्त आवेदन के विचाराधीन रहते हुए मूल खसरा सं. 371 में भूमि आवंटन होने से नये खसरा सं. 486/171, 487/171 बने है, खसरा सं. 487/371 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थीगण अधिवक्ता भी सहमत है।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	487/371	02.6466	बा.सो.	20 फीट	00.0486	छोटा भोजारिया	राज सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दि[illegible] है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न[illegible] किसी प्रकार [illegible]/टांका बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) [illegible] 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर सम[illegible]ते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

चौहटन

नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग हरा 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग हरा दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत [illegible] भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जावे जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अधिकारी चौहटन

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अधिसूचित निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलग्न नक्शा में बरंग हरा दिए जाने का आदेश आज दिनांक 04/07/25 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर [illegible] हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्र०स० 03/03

न्यायालय नायब तहसीलदार छोटी सादड़ी

राजस्व प्रकरण संख्या 08/2023

धारा 251-A मे

जुम्मनखां बनाम तहसीलदार

... के मौके का नक्शा

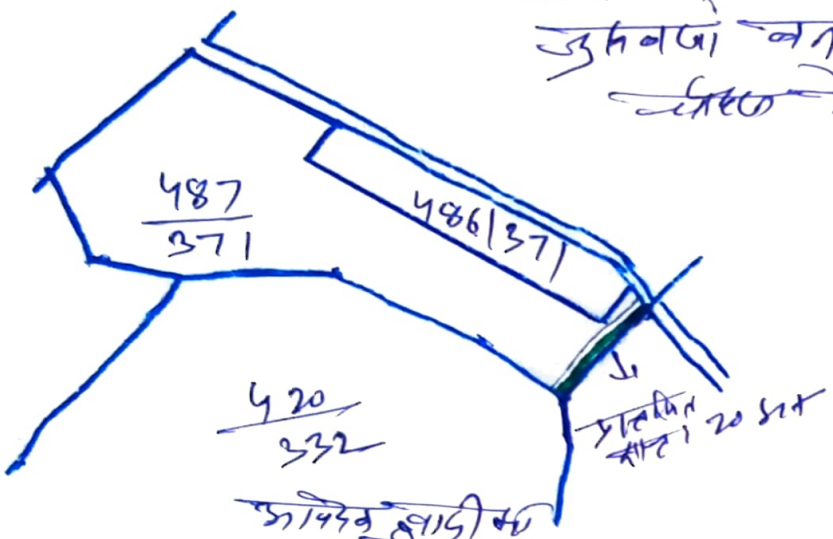

(—) प्रस्तावित
रास्ते के लिए

उक्त भूमि में बाद लगाने हेतु मय खा.नं. प्रस्तावित भूमि 371 मूल का इन्द्राज बाद भूमि आवेदन हेतु बरेवाज 486/371, 487/371 बने हुए जो मूल खसरा 371 का ही भाग है। अतः उक्तानुसार रास्ता प्रदान किया जाना उचित होगा एवं नक्शा मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर करवाये एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

Ex Court

उपखण्ड अधिकारी
चौहान

इमाम इस्माइल

शाहरा

जुम्मा खां

तहसीलदार (भू.अ.) चौहान

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.22 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

9784324480

मोहम्मद

मोडु खां

हस्ताक्षर अधिवक्ता
एनरोलमेन्ट नं. ....

हस्ताक्षर पक्षकारान